

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 17/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

सा.का.नि.____(अ).-- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 740(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 15/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 को, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हे ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था ।

[फा.सं.डीजीईपी/एसईजेड/09/2017]

(धर्मवीर शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार